न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/37/2016

उनवान

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पुत्री मोहन लाल पत्नी बद्री लाल ब्राहमण निवासी सुरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 5/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.7.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एल वैद, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 2.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरास तहसील माण्डल की नवीन आराजी नम्बर 523 रकबा 2.00 बीघा एवं नवीन आराजी नम्बर 524 रकबा 0.17 बिस्वा वादिया की क्रय सुदा खातेदारी हक की आराजी है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 370 रकबा 3.09 बीघा है। जो निम्न पडौसो के मध्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पूर्व :— भॅवर लाल,रतन लाल वल्द जमना लाल दरोगा की आराजी
पश्चिमः— शंभू सिंह की आराजी
उत्तर :— मूलसिंह जी, नंद सिंह जी की आराजी ,
दक्षिणःसरकारी बिलानाम गैरकाबिलकाश्त मगरा काबरानामी बोला जाता है।

2. नवीन आराजी नम्बर 523 व 524 कुल रकबा 2.17 बीघा जो साबिक आराजी नम्बर 370 रकबा 3.09 बीघा का कन्वर्ट रकबा है। सेटलमेण्ट के दौरान सर्वे कार्य में उपयोग में ली गई जरीब के अनुसार साबिक रेकार्ड के अनुसार परिवर्तित रकबा 3 बीघा वादिया के खाते में दर्ज होना चाहिये था , लेकिन भू प्रबन्ध कर्मचारियों की त्रूटि के कारण वादिया की खातेदारी हक की नवीन आराजी नम्बर 524 रकबा 0.17 बिस्वा, के स्थान पर 1.00 बीघा रकबा दर्ज होना चाहिये था। इस प्रकार उक्त रकबे में 0.03 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त 0.03 बिस्वा का कमी रकबा वाद पत्र में वर्णित पडौसो के अनुसार दक्षिण दिशा की आराजी नम्बर 526 के कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में सम्मिलित कर दिया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है। जिसमें से 0.03 बिस्वा कम कर वादिया की आराजी नम्बर 524 में पूर्ति करते हुए रकबा 1.00 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का वादिया को वैधानिक अधिकार है। वादिया का साबिक रेकार्ड के अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त है।

3. नवीन आराजी नम्बर 524 रकबा 0.17 बिस्वा जो राजस्व रेकार्ड में दोषपूर्ण अंकन हुआ है, उसे सही व दुरूस्त कराने की घोषणा कराने का वादिया को वैधानिक अधिकार है। वादिया के साबिक रेकार्ड अनुसार कब्जेकाश्त की भूमि में दखलन्दाजी, बाधा व हस्तक्षेप नहीं करने बाबत प्रतिवादी व उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मियों को प्रतिबंधित किये जाने बाबत स्थाई व्यादेश का वादिया को अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा वादिया को 0.03 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर दिया गया तो वादिया का वाद पेश करना निरर्थक हो जायेगा । जिससे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसका कोई मापदण्ड नहीं होगा । वादिया ने दोषपूर्ण अंकन को दुरूस्त करने बाबत प्रतिवादी राजस्थान राज्य के जन सेवकों को दिनांक 1.6.2009 को निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा इंकारी करने से उन्हें धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिनांक 23.6.2009 को दिया जो उन्हें प्राप्त हो चुका है। अतः घोषणा व स्थाई व्यादेश की डिक्री वादिया के पक्ष में व प्रतिवादी राजस्थान राज्य के विरूद्ध इस आशय की पारित की जावे कि मौजा सुरास तहसील माण्डल की नवीन आराजी नम्बर 526 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा की उत्तरी दिशा की 0.03 बिस्वा भूमि कम कर वादिया की नवीन आराजीनम्बर 524 रकबा 0.17 बिस्वा में 0.03 बिस्वा जोडकर रकबा 1.00 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर वादिया को नवीन आराजी नम्बर 524 रकबा 1.00 बीघा की खातेदार काश्तकार की घोषणा करते हुए प्रतिवादी व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को वादिया के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी व हस्तक्षेप न करने तथा वादिया को बेदखल न करने बाबत प्रतिबंधित किया जाये।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.7.2015 पारित हो जाने की अपीलार्थीया को जानकारी नहीं थी। क्योंकि पीठासीन अधिकारी जी ने मौका रिपोर्ट मंगवाकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यदि अपीलार्थी की मौके पर नवीन नाप से 3.00 बीघा भूमि पाये जाने पर निर्णय कर देने बाबत वक्त कैम्प सुरास पर आदेश करने हेतु कहा था, जिसकी दिनांक 24.11.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने एवं दिनांक 14.12.2015 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी हुई। अतः अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

7. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि साबिक रेकार्ड के अनुसार 3 बीघा 09 बिस्वा का नई जरीब के अनुसार प्रति बीघा 3 बिस्वा कम करने पर नवीन रेकार्ड में 3.00 बीघा दर्ज होना चाहिये था। यह सर्वमान्य सिद्धान्त होने से अपीलार्थीया का वाद डिक्री किये जाने योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भौतिक स्थिति संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मगंवाये बिना ही वाद को खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है।

8. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी नम्बर 370 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा के तीन तरफ काश्तकारों की कृषि भूमियॉ हैं एवं एक दिशा की तरफ बिलानाम भूमि है, उसी भूमि में से 0.03 बिस्वा भूमि अपीलार्थीया ने अपने नवीन रेकार्ड में कम दर्ज होने से अनुतोष की मांग की थी। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की एवं साक्ष्य भी ग्रहण नहीं कर मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लोक अदालत राजस्व अभियान में आपसी सहमति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं समझौता से ही मामले का निस्तारण किये जाने हेतु विधिक प्राधिकरण द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। आपसी सहमति नहीं होने की दशा में प्रकरण को जिस स्टेज पर हो उसी स्टेज पर रखकर आगामी कार्यवाही करनी चाहिये। अपीलाधीन प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ था। ऐसी स्थित में प्रकरण को आगामी कार्यवाही में रखा जाकर साक्ष्य एवं रेकार्ड के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। जो नहीं कर मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रथदृष्टया ही नवीन रिकार्ड में साबिक रेकार्ड से 03 बिस्वा कम दर्ज होना प्रमाणित होते हुए भी पूर्वाधिकारी से क्रय होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करके अपीलार्थीया/वादिया के वाद को अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज किया है । जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जावे।

11. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीया ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीया ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीया अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलाण्ट द्वारा पूर्व खातेदार के साबिक खसरा नम्बर 524 रकबा 0.17 बीघा का सेटलमेण्ट विभाग द्वारा गलत इन्द्राज कर दिये जाने से पैमाईश में शेष रही भूमि 03 बिस्वा भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2015 अपास्त किये जाने एवं विपक्षी द्वारा लिखित कथन का खण्डन नहीं किये जाने से अपीलार्थीया/वादिया का वाद डिक्री किया जावे । विकल्प में प्रार्थना की है कि मामले में साक्ष्य ग्रहण किये जाने के बाद गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

14. उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि क्रय की गई है। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 6.6.1979 को खसरा नम्बर 524 रकबा 17 बिस्वा की खरीद की गई थी व इस आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में अंकन होकर बदस्तुर चला आ रहा है। अपीलार्थीया/वादिया द्वारा क्रयशुदा समस्त भूमि उसके नाम दर्ज है, तथा साबिक रेकार्ड के आधार पर हक मागंने का कोई अधिकार नहीं होना निष्कर्षित कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया खारिज किया गया है।

15. वकील अपीलाण्ट द्वारा विक्रय से पूर्व के खातेदार के सभी हक अधिकार अपीलाण्ट के पक्ष में अन्तरित हो जाने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक 1 बीघा 17 बिस्वा दर्ज किये जाने के अंकन को चुनौति दी है, तथा वादिया को आराजी नम्बर 524 रकबा 1 बीघा का खातेदार घोषित करने की मांग की है। इस बाबत सिवायचक भूमि में स .03 बिस्वा कम करने की प्रार्थना भी की गई है।

16. अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ससम्मान अवलोकन उपरान्त वादिया के क्लेम को उचित नहीं पाते हैं। अपीलाण्ट/वादिया पूर्व खातेदार से क्रय की गई भूमि से अधिक का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। साबिक रेकार्ड के लागू होने के उपरान्त वर्ष 1979 में क्रयशुदा भूमि से इतर भूमि का 31 वर्ष के उपरान्त बिना समस्त साक्ष्य, सबूत अधिकार चाहना उचित नहीं कहा जा सकता है।

17. अपीलार्थीया पर अपना वाद साक्ष्य, सबूतों से साबित करने का भार था। चूंकि राजस्व प्रकरणों में प्रमाणिक रेकार्ड के आधार पर निर्णयन हो सकता है। अतः अपीलाण्ट/वादिया पर यह भार था कि वह खरीद से पूर्व के भूप्रबन्ध के पूर्व के राजस्व रेकार्ड, मिलान क्षेत्रफल व भू प्रबन्ध रेकार्ड के आधार पर खरीद उपरान्त के राजस्व रेकार्ड में विसंगति को स्पष्ट प्रदर्शित कराते व जिस राजकीय भूमि में से अनुतोष भूमि चाहते हैं। उसका भी रेकार्ड विसंगति से मिलान करवाते । परन्तु अपीलार्थीया अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं । अपीलार्थीया को यह भी स्पष्ट करना था कि विक्रय के आधार पर विक्रय से इतर राजस्व भूमि यदि शेष हो तो उसके भी अधिकारी वे ही है। अपीलार्थीया /वादिया अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

18. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

19. निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

2/5/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/37/2016

उनवान

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पुत्री मोहन लाल पत्नी बद्री लाल ब्राहमण निवासी सुरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 5/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/37/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 2.5.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस एल वैद वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 2.5.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 2.5.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस